Office of the
Tehsildar, Balh (at Ner Chowk)
Distt. Mandi (H.P.)

D.No. 4611

Date: 5.9.25

Land Use Certificate

This is to certify that the Abhilashi Educational Society, Nerchowk, Distt. Mandi (H.P.), the parent body of Abhilashi College of Education, has received permission from the Govt. of H.P. vide latter Nos. Rev. B.F(10)-644/2005 dated 14-11-2005. The Abhilashi Educational Society, Ner Chowk, Distt. Mandi (H.P.) has purchased land measuring 03-01-19 bighas (2507 sqm) in khasra Nos. 703,704,706 and 705 and the Abhilashi College of Education (B.Ed & D.El. Ed.), Ner Chowk, Tehsil Balh, Distt. Mandi (H.P.) 175008 is being run on the above land by Abhilashi Educational Society, Ner Chowk, Distt Mandi (H.P.).

Hence, the land use certificate is issued.

Tehsildar / Naib-Tehsildar

Naib Tehsildar
Tehsil Balh
Distt. Mandi (H.P.)

संख्या : रैव0–बी0–एफ0(10)–644/2005
हिमाचल प्रदेश सरकार
राजस्व विभाग

प्रेषक

वित्तायुक्त एवं सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

प्रेषित

अभिलाषी एजूकेशनल सोसाईटी, नेर चौक
डा0 नेर चौक, तहसील सदर,जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक शिमला–171002 14 नवम्बर ,2005

विषय :– अभिलाषी एजूकेशनल सोसाईटी, नेर चौक मण्डी द्वारा बी एड कालेज स्थापित करने हेतु भूमि कय करने की अनुमति प्रदान करने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे उपायुक्त, मण्डी के पत्र संख्या: एस0आर0/एल0आर0/2005–30182, दिनांक 20–9–2005 द्वारा प्राप्त आपके आवेदन प्रकरण के सन्दर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एण्ड लैण्ड रिफोर्मज एक्ट, 1972 की धारा 118 की उप–धारा 2 के खण्ड (एच) तथा हिमाचल प्रदेश टेनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफोर्मज रूल्ज,1975 के नियम 38 ए के उप–नियम 3 के खण्ड (ई) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपके पक्ष में भूमि खसरा नम्बर 705 का 1/2 भाग रक्बा वकदर 2–0–01 वीघा, खसरा संख्या: 703, 704 व 706 रक्बा तादादी 04–07–04 वीघा का 1/4 भाग 1–1–18 वीघा व 400/4371 भाग रक्बा वकदर 1–0–0 वीघा कुल रक्बा तादादी 4–01–19 वीघा स्थित मुहाल नेर/222, तहसील सदर, जिला मण्डी में बी एड कालेज स्थापित करने हेतु भूमि निम्नलिखित शर्तों पर कय करने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. यह अनुमति इस पत्र के जारी होने से 180 दिन तक मान्य/वैध होगी ।
2. भूमि का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिये 2 वर्षों की अवधि के अन्दर किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिये अनुमति दी गई है। यदि भूमि का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिये निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं किया गया तो उक्त भूमि सभी प्रकार से भारमुक्त होकर सरकार में निहित हो जायेगी।
3. जमाबन्दी की टिप्पणी खण्ड में लाल स्याही से इन्द्राज किया जाये कि केता भविष्य में सरकार से किसी भी प्रकार से भूमि आबंटन /लीज/अनुदान के लिये कृषक की परिभाषा में नहीं आयेगा।
4. इस स्वीकृति के अन्तंगत कय की गई भूमि का केता कृषक कहलाने का अधिकारी नहीं होगा और ऐसा अकृषक व्यक्ति अकृषक ही रहेगा।
5. विकय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि की स्टैम्प शुल्क वर्तमान बाजारी कीमत पर केता से वसूल की जायेगी ।

भवदीय,

संयुक्त सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या : यथोपरि दिनांक शिमला–2 नवम्बर, 2005

प्रतिलिपि उपायुक्त, मण्डी, हिमाचल प्रदेश को उनके उक्त पत्र के सन्दर्भ में इस आशय के साथ प्रेषित है कि वह इस विभाग के पत्र संख्या रैव0–बी0–एफ0(10)187/2003, दिनांक 29.10.2003 द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित दो वर्षो की समयावधि के भीतर इस विभाग को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें ।

संयुक्त सचिव (राजस्व)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

Office of the
Tehsildar, Balh (at Ner Chowk)
Distt. Mandi (H.P.)

D. No. 4613.

Date: 5-9-25

Land Use Certificate

It is certified that at present Khasra No. 1559/1397/1140/842 and 1560/1397/1140/842, Muhal Ner/222, Tehsil Balh, Distt Mandi (H.P.),is being used for the hostel of Abhilashi College of Education (B.Ed & D.El. Ed.), Ner Chowk, Distt. Mandi (H.P.).

Hence the Land Use Certificate is issued.

Naib Tehsildar
Tehsil Balh
Distt. Mandi (H.P.)

Tehsildar / Naib-Tehsildar